पैरा विधिक स्वयंसेवक

सामान्य-

भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँवों में बसती है जहां ज्यादातर लोग अशिक्षित, गरीब, वंचित और अपने अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। गाँवों तक पहुँच के साधन आज भी सीमित है। विधिक सेवा के परम उद्देश्य ''न्याय सबके लिए'' की सफलता तभी है, जब देश के प्रत्येक व्यक्ति तक, चाहे वह दूरस्थ क्षेत्र में स्थित हो, उन तक विधिक सहायता पहुँचे।

''न्याय सबके लिए'' अभियान के अन्तर्गत नालसा का उद्देश्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की सक्रियता इस स्तर तक बढ़ाना है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को भी अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों की जानकारी हो तथा प्राधिकरण विधिक सहायता के लिए जरूरतमंदों तक स्वयं पहुँचे, उन्हें अपने पास आने की प्रतिक्षा नहीं करें ।

इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवकों का संगठन तैयार करने हेतु नालसा ने वर्ष 2009–10 में एक स्कीम तैयार की जिसे वर्ष 2011 में और पुनः वर्ष 2013 में संशोधित किया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में पैरा विधिक स्वयंसेवकों का चयन किया गया एवं प्रशिक्षण दिया गया है, जिनके द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति को विधिक सेवा प्रदान करने का प्रयास किया जा रहा है।

इस स्कीम का उद्देश्य पैरा विधिक स्वयंसेवकों का कैडर तैयार करना है। पैरा लीगल वॉलिंटियर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि वे ऐसा कार्य करें, जिससे आम जरूरतमंद व्यक्ति और विधिक सेवा संस्था के मध्य की दूरी को मिटाकर सबके लिये न्याय के अभियान में आने वाली बाधाओं को हटा सके।

सामान्यतः पैरा विधिक स्वयंवेवक के रूप में ऐसे व्यक्तियों को चुना जाना है जिनका उद्देश्य केवल पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्य कर मानदेय प्राप्त करना न हो बल्कि वह समाज के कमजोर, वंचित एवं जरूरतमंदों के उत्थान के लिए संवेदनशीलता, सहानुभूति एवं जुड़ाव के साथ कार्य कर सके ।

पारम्परिक रूप में पैरा विधिक ऐसे व्यक्ति है जो अधिवक्ताओं को उनके द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवा में सहयोग करते हैं । परन्तु नालसा की स्कीम के अन्तर्गत चयनित ''पैरा विधिक स्वयंसेवक'' का कार्य किसी व्यक्ति को विधिक राय देना नहीं है बल्कि उसका कार्य जरूरतमंदों को विधिक सेवा प्राधिकरणों के माध्यम से विधिक सहायता प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करना है । उसका कार्य जरूरतमंद एवं विभिन्न संस्थानों के बीच सेतु का कार्य करना है ।

पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में शिक्षक (सेवानिवृत्त शिक्षकों सहित), सेवानिवृत्त सरकारी सेवक, वरिष्ठ नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता, विद्यार्थी, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ता, डाक्टर, एनजीओ, विधि छात्र, गैर राजनीतिक दल के व्यक्ति, महिलायें, सजायाफ्ता शिक्षित कैदी आदि को चुना जाना है ।

पैरा लीगल स्वयं सेवकों को विशेषज्ञ के रूप में योग्य अधिवक्ताओं, विधि महाविद्यालय के शिक्षकों एवं स्नातकोत्तर के छात्र, विधि महाविद्यालय से सेवानिवृत्त शिक्षक, सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी, राजस्व अधिकारी, समाज कल्याण विभाग के अधिकारी, लोक अभियोजक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी इत्यादि के द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

पैरा विधिक स्वयंसेवको को कई चरणों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आम नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, पारिवारिक विधियों, सम्पदा विधियॉ, आपराधिक विधियॉ, श्रम विधियॉ, उपभोक्ता कानून, औद्योगिक विधियॉ, बंदियों के अधिकार,राजस्व विधियॉ, बच्चों से संबंधित विधियॉ, सूचना का अधिकार अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लोक अदालत, प्ली–बारगेनिंग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, पर्यावरण संबंधी विधियॉ, शासन की विभिन्न योजनाएँ एवं जनहित से संबंधित कानूनी विषयों पर जानकारी प्रदान की जाती है।

अंतिम रूप से चयनित एवं प्रशिक्षित पैरा विधिक स्वयंसेवकों को परिचय पत्र जारी किया जायेगा, जो एक वर्ष के लिए वैध होगा । एक वर्ष पश्चात् पुनः उसका परिचय पत्र नवीनीकृत किया जायेगा यदि अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उससे आगे पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्य लेने हेतु उसे पात्र पाते हैं । परिचय पत्र का प्रारूप निम्न अनुसार हो सकता है :–

CHHATTISGARH STATE LEGAL SERVICES AUTHORITY

Para-Legal volunteer registration number .....(.....)

Name :

Father/Husband Name:

Village/Town :

Photo

Signature of
Para Legal Volunteer

Signature of Secretary,
DLSA

पैरा विधिक स्वयंसेवको को विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न प्रकार की सेवायें प्रदान करनी है । अतः यह संभव है कि अपने कर्त्तव्यों के निर्वहन के दौरान उन्हें सलाह एवं सहयोग की आवश्यकता पड़े । पैरा विधिक स्वयंसेवको की इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्राधिकरण/समिति सलाहकारों का पैनल तैयार करेगी । 10 पैरा विधिक स्वयं सेवक पर एक सलाहकार होगा जिसका सम्पर्क नम्बर उसके ग्रुप के पैरा विधिक स्वयंसेवको के पास हेागा । पैरा विधिक स्वयंसेवक आवश्यकता होने पर सलाहकार से सलाह एवं सहयोग प्राप्त कर सकेगा।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों के कार्य

पैरा विधिक स्वयंसेवक सामान्यतः निम्नलिखित कार्य करेंगे ––

- लोगों, विशेषतः समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को मान–सम्मान के साथ रहने के अधिकार, संविधान एवं अन्य विधियों द्वारा प्रदत्त अधिकारों आदि के संबंध में जागरूक करना साथ ही उनके कर्त्तव्यों एवं दायित्वों के संबंध में भी जागरूक करना ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में होने वाले कानून के उल्लंघन एवं अन्याय पर लगातार दृष्टि रखेंगे तथा उसे तत्काल फोन से या लिखित या व्यक्तिगत रूप से प्राधिकरण/ समिति के संज्ञान में लायेंगे ताकि प्राधिकरण/समिति प्रभावी उपचार के लिए कदम उठा सके ।

- यदि पैरा विधिक स्वयंसेवक को क्षेत्र के किसी व्यक्ति के गिरफ्तार होने की सूचना मिलती है तो वह थाना जायेगा तथा यदि आवश्यक हो तो यह सुनिश्चित करेगा कि वह नजदीकी के प्राधिकरण/समिति से उसे विधिक सहायता पहुंचाये।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक का यह भी दायित्व है कि वह देखे कि अपराध के पीड़ित को समुचित संरक्षण और सहयोग मिले । हत्या, बलात्कार, एसिड़ हमला, बालकों पर होने वाले लैंगिक अपराध आदि अपराधों में पीड़ित को लैंगिक अपराधों से बालकों की सुरक्षा अधिनियम 2012, धारा 357–ए दं0प्र0स0 एवं छत्तीसगढ़ पीड़ित क्षतिपूर्ति स्कीम, 2011 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति दिलाने में भी सहयोग करेगा ।

- प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किये जाने पर जेल, मनःचिकित्सालय, बाल संरक्षण गृह जायेगा तथा उन

स्थानों पर निरूद्वव्यक्तियों की विधिक आवश्यकताओं को सुनिश्चित करेगा तथा यदि वह पाता है कि निरूद्वव्यक्तियों की मूल भूत सुविधाओं में कोई कमी है तो उसे सक्षम प्राधिकरणी को सूचित करेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक बच्चों के अधिकारों के उल्लंघन, बाल श्रम, बच्चों की गुमसुदगी, लड़कियों के दुर्व्यापार के बारे में नजदीकी सक्षम प्राधिकरणी या बाल कल्याण समिति को सूचित करेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में प्राधिकरण/ समिति की सहायता करेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक अपने क्षेत्र के लोगों को विधिक सेवा प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली विधिक सहायता की जानकारी देगा तथा प्राधिकरणों/समितियों का पता बतायेगा ताकि लोग प्राधिकरणों/समिति से प्राप्त होने वाले मुफ्त विधिक सहायता का लाभ उठा सके ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक लोगों को पूर्व–विवाद स्तर पर मध्यस्थता, लोक अदालत, पंचाट या सुलह समझौते के माध्यम से विवादों के निपटारे के लिए जागरूकता पैदा करेगा तथा लाभ बतायेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक लोगों को स्थायी लोक अदालत (लोकोपयोगी सेवाओं के लिए) के माध्यमों से निम्न विवादों को निपटारे की जानकारी देगा :–

1. वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के वहन के लिये यातायात सेवा
2. डाक, तार या टेलीफोन सेवा
3. किसी स्थापना द्वारा जनता को विद्युत, प्रकाश या जल का प्रदाय
4. सार्वजनिक मल वहन या स्वच्छता प्रणाली,
5. अस्पताल या औषधालय सेवा
6. बीमा सेवा
7. बैंकिंग तथा अन्य वित्तीय संस्थानों की सेवाएं
8. किसी स्थापना द्वारा सामान्य जन को किसी भी प्रकार के ईंधन का प्रदाय

- पैरा विधिक स्वयंसेवक नियत फार्मेट में उसके द्वारा किये गये कार्यो की मासिक विवरणी प्राधिकरण/समिति को देगा ।

- प्रतिदिन की कार्यवाही को दर्ज करने हेतु प्रत्येक पैरा विधिक स्वयंसेवक एक डायरी रखेगा । यह डायरी प्राधिकरण द्वारा छपवायी और उपलब्ध करायी जायेगी तथा प्राधिकरण/समिति के सचिव/अध्यक्ष द्वारा अभिप्रमाणित की जायेगी ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक यह भी देखागा कि विधिक सेवा से संबंधित प्रचार सामग्री उनके क्षेत्र के प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किये जायें ।

पैरा विधिक स्वयंसेवको के प्रबंध कार्यालय में कार्य -

नालसा (मुफ्त एवं प्रभावी विधिक सहायता) विनियम, 2010 के विनियम 4 के अन्तर्गत प्रबंध कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान उपलब्ध पेनल अधिवक्ता के साथ एक या अधिक पैरा विधिक स्वयं सेवक को नियुक्त किया जा सकता है।

विधिक सहायता केन्द्र में पैरा विधिक स्वयंसेवक के कार्य-

नालसा (विधिक सहायता क्लीनिक) विनियम, 2011 के विनियम 5 के अन्तर्गत विधिक सहायता क्लीनिक में कार्य समय के दौरान कम से कम दो पैरा विधिक स्वयं सेवक उपस्थित रहकर विधिक सहायता/ सलाह प्रदान करेंगे।

नालसा (विधिक सहायता क्लीनिक) विनियम, 2011 के विनियम 10 के अन्तर्गत पैरा विधिक स्वयं सेवक निम्नलिखित कार्य करेंगे :–

- विधिक सहायता केन्द्र में प्रतिनियुक्त पैरा विधिक स्वयंसेवक विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्ति को प्रारंभिक सलाह प्रदान करेगा ।

- विभिन्न सरकारी योजनाओं के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु सहायता चाहने वाले, विशेषतः अशिक्षित व्यक्तियों के लिए आवेदन, नोटिस आदि का मसौदा तैयार करेगा और फार्म भरने में सहायता प्रदान करेगा ।

- यदि आवश्यकता हो तो पैरा विधिक स्वयंसेवक विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति के साथ सरकारी कार्यालय जायेगा तथा अधिकारी/ कर्मचारी से मिलकर उक्त व्यक्ति की समस्या के निदान का प्रयास करेगा।

- यदि विधिक सहायता केन्द्र में अधिवक्ता की सेवा की आवश्यकता है तो पैरा विधिक स्वयंसेवक बिना विलम्ब किये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुक विधिक सेवा समिति से सम्पर्क कर अधिवक्ता की सेवा तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध करेगा ।

- आकास्मिकता की स्थिति में विधिक सेवा चाहने वाले व्यक्ति को पैरा विधिक स्वयंसेवक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ तालुक विधिक सेवा समिति में ले जायेगा ।

- विधिक सहायता चाहने वाले व्यक्तियों को जागरूक करने हेतु पैरा विधिक स्वयंसेवक पर्चे एवं अन्य सामग्री बाँटेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित विधिक जागरूकता शिविर में सक्रिया भागीदारी करेगा ।

- इसके अतिरिक्त पैरा विधिक स्वयंसेवक जिला प्राधिकरण/ समिति की सलाह से अपने क्षेत्र में श्रमिकों, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति/ जनजाति एवं अन्य लोगों के छोटे–छोटे समूहो के बीच विभिन्न विषयों यथा उनके मूल अधिकारों, विधिक अधिकारों, सम्पति संबंधी अधिकारों, सूचना के अधिकार, शिक्षा के अधिकार, सेवा के अधिकार, पुलिस के संबंध में उनके अधिकार, सरकार द्वारा उनके लिए संचालित विभिन्न लाभकारी स्कीमों एवं लाभकारी अधिनियमों आदि विषयों के बारे में विधिक जागरूकता एवं साक्षरता शिविरों का आयोजन करेगा ।

अनुकल्पी विवाद निपटारा (ए0डी0आर0) द्वारा स्थानीय विवादों का निपटारा कराना-

स्थानीय स्तर पर लोगों के बीच अक्सर छोटे–छोटे विवाद होते रहते है जिन्हें यदि समय से नहीं सुलझाया जाय तो बड़े विवादों और मुकदमे का रूप ले लेते है । पैरा विधिक स्वयंसेवको का यह कर्त्तव्य है वे अपने क्षेत्र के ऐसे विवादों की पहचान करेगा तथा पक्षकारों को इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वे अपने विवादों को लोक अदालत, मध्यस्थता, या बातचीत के माध्यम से सुलझाये तथा इसके लिए उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ ए0डी0आर0 केन्द्र में लाने का प्रयास करेगा ।

जेल में पैरा विधिक स्वयंसेवक -

प्रत्येक जेल में विधिक सहायता केन्द्र स्थापित करने के अतिरिक्त लम्बी सजा भुगत रहे कैदियों में से कुछ कैदियों का चयन पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाना है ताकि वे अपने अन्य कैदियो को विधिक सहायता प्रदान कराने के लिए हमेशा उपलब्ध रहे ।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों की थाने में प्रतिनियुक्ति -

बचपन बचाओं आन्दोलन बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का यह निर्देश है कि यदि किसी बच्चे के गायब होने की शिकायत की जाती है तो यह माना जायेगा कि उस बच्चे का अपहरण या दुर्व्यापार हुआ है और तत्काल प्राथमिकी दर्ज किया जायेगा ताकि अनुसंधान के क्रम में तत्काल उनकी खोज प्रारंभ की जा सके ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निदेशानुसार प्रदेश के प्रत्येक थाने में पैरा विधिक स्वयंसेवक की प्रतिनियुक्ति की जाती है जो यह देखेगा कि गायब हुए किसी बच्चे से संबंधित शिकायत प्राथमिकी के रूप में दर्ज हो रहा है या नहीं एवं प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त पुलिस बच्चे की तलाश में तत्पर है या नहीं।

यदि पुलिस ने बच्चे की गुमशुदगी को सिर्फ सान्हा के रूप में दर्ज किया है तो संबंधित पैरा विधिक स्वयंसेवक, थाना प्रभारी को माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए प्राथमिकी दर्ज कर बच्चे की तलाश किये जाने का अनुरोध करेगा ।

यदि पैरा विधिक स्वयंसेवक यह पाता है कि प्राथमिकी दर्ज होने के उपरान्त पुलिस बच्चे की खोज में तत्पर नहीं है तो भी वह संबंधित अनुसंधानकर्त्ता एवं थाना प्रभारी को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का उल्लेख करते हुए बच्चे की तलाश हेतु कदम उठाने का अनुरोध करेगा ।

यदि थाना प्रभारी अथवा अनुसंधानकर्त्ता प्राथमिकी दर्ज करने अथवा बच्चे की तलाश में तत्परता के अनुरोध पर ध्यान नहीं देता है तो संबंधित पैरा विधिक स्वयंसेवक इसकी तत्काल लिखित सूचना संबंधित जिले के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को देगा ताकि प्राधिकरण के स्तर से उस संबंध में आवश्वयक कदम उठाया जा सके ।

<u>नोट</u>:– उल्लेखनीय है कि थाने में प्रतिनियुक्त पैरा विधिक स्वयंसेवक किसी भी रूप में थाना कार्य का पर्यवेक्षक नहीं है बल्कि वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में बच्चों से संबंधित शिकायत पर निगाह रखने के लिए है ।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों के गुण -

एक सफल पैरा विधिक स्वयंसेवक होने के लिये पैरा विधिक स्वयंसेवक में निम्नलिखित गुण होने चाहिएः–

- लोगों के साथ मिलकर कार्य करने की क्षमता
- घटना को विस्तार से समझने की क्षमता
- कठिन परिस्थितियों में धैर्य के साथ कार्य करने की क्षमता
- गम्भीरता
- ईमानदारी
- सुनियोजित रहना
- बहुआयामी
- टीम वर्क
- समझदारी
- बातचीत करने की क्षमता
- कठिन परिस्थितियों में भी विवेकशील रहना
- साफ–साफ बोलना और लिखना
- सतत् सीखते रहने की क्षमता

याद रखें पैरा विधिक स्वयंसेवको को क्या नहीं करना--

पैरा विधिक स्वयंसेवकों के लिए जितना आवश्यक यह जानना है कि उसे क्या करना है, उतना ही आवश्यक यह भी जानना है कि उसे क्या नहीं करना है । पैरा विधिक स्वयंसेवको को निम्नलिखित कार्य नहीं करना है–

- पैरा विधिक स्वयंसेवक फीस नहीं ले सकता
- क्लाईंट के लिए कोर्ट में पेश नहीं होना
- न्याय का दलाल नहीं बनना है
- जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर कोई भेद–भाव नहीं करना है
- सहानिभूति और समझदारी से निर्णय लेगा
- पैरा विधिक स्वयंसेवक अपनी नियुक्ति का किसी भी रूप में दुरूपयोग नहीं करेंगे ।
- पैरा विधिक स्वयं सेवक जरूरतमंद तथा संबंधित विभाग के बीच सेतु का कार्य करते समय ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जो अधिकार क्षेत्र से बाहर हो। यदि विभाग से उसे सहयोग नहीं मिलता है तो वह इसकी सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा ।
- झूठा आरोप लगाने वाला और अवमानकारक आवेदन नहीं लिखेगा ।
- आवेदन, नोटिस, जबाब लिखने के समय गलत तथ्यों या आवेदक द्वारा बताये गये तथ्यों से अलग या अतिरिक्त तथ्य नहीं लिखेगा ।
- आवेदक की सहायता के लिए किसी कार्यालय में जाने के दौरान पैरवीकार के रूप में कार्य नहीं करेगा ।
- अधिकारों की उपलब्धता के संबंध में कोई विधिक राय नहीं देगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक की हैसियत से किसी कार्यालय या व्यक्ति को कोई पत्र नहीं लिखेगा ।

- पैरा विधिक स्वयंसेवक किसी का कार्य करा देने का वादा नहीं करेगा या काम कराने की गारण्टी नहीं लेगा । वह एजेन्ट की तरह कार्य नहीं करेगा ।

उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाने का हकदार है तो-

➢ पैरा विधिक स्वयंसेवक उसे यह बतायेगा कि वह व्यक्ति वृद्धावस्था पेंशन पाने का हकदार है ।

यदि वह व्यक्ति यह नहीं जानता है कि उसे पेंशन कैसे प्राप्त होगी तो पैरा विधिक स्वयंसेवक उसे आवेदन का फार्म उपलब्ध करायेगा तथा फार्म भरवाने में उसकी मदद करेगा । यदि आवेदक अशिक्षित है तो पैरा विधिक स्वयंसेवक स्वयं उसका फार्म भरेगा । फार्म भरने के पश्चात पैरा विधिक स्वयंसेवक आवेदक को वह आफिस बतायेगा जहाँ फार्म जमा करना है और यदि आवश्यक हो तो फार्म जमा कराने में सहायता करेगा।

➢ **पैरा विधिक स्वयंसेवक यह नहीं करेगा कि वह आवेदक से कहे कि आवेदन फार्म दो मैं वृद्धावस्था पेंशन दिलवा दूँगा या वह आवेदक के साथ जाकर कार्यालय में वृद्धावस्था पेंशन के लिए पैरवी करे।**

- पैरा विधिक स्वयंसेवक किसी कार्यालय में जाकर पैरा विधिक स्वयंसेवक की हैसियत से किसी कार्य को करने के लिए दबाव नहीं बनायेगा ।

- यदि किसी पैरा विधिक स्वयंसेवक की ऐसी शिकायत मिलती है तो वह पैनल से हटाने का आधार हो सकेगा ।

- **यदि पैरा विधिक स्वयंसेवक से कोई आवेदक यह शिकायत करता है कि किसी कार्यालय में उसका कोई कार्य नहीं हो रहा है, ऐसी स्थिति में पैरा विधिक स्वयंसेवक आवेदक को यह बतायेगा कि आवेदक किस प्रकार उसकी शिकायत उच्चाधिकारी से कर सकता है।**

पैरा विधिक स्वयंसेवको का निष्कासन -

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष निम्नलिखित परिस्थितियों में किसी पैरा विधिक स्वयंसेवको को पैरा विधिक स्वयंसेवको की सूची से हटा सकते है–

- यदि पैरा विधिक स्वयंसेवक को स्कीम में अभिरूचि नहीं रह जाती है।
- यदि वह दिवालिया घोषित हो जाता है ।
- यदि वह किसी अपराध का अभियुक्त हो जाता है ।
- यदि वह सक्रिय पैरा विधिक स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने में शारीरिक या मानसिक रूप से अस्वस्थ्य हो जाता है ।
- यदि वह अपने नियुक्ति का इस प्रकार दुरूपयोग या भ्रष्टाचार करता है कि किसी भी रूप में उसका पैरा विधिक स्वयंसेवक रहना लोकहित को प्रभावित करेगा ।
- यदि वह किसी राजनीतिक दल से संबंध हो जाता है ।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों का मानदेय एवं अन्य खर्चे -

- ✓ पैरा विधिक स्वयंसेवक को जिस दिन विशेष कार्य पर लगाया जाता है उस दिन का मानदेय दिया जायेगा।
- ✓ पैरा विधिक स्वयंसेवक जिस दिन गाँव से विधिक सहायता का आवेदन लेकर जिला प्राधिकरणा या तालुका समिति आता है उस दिन का मानदेय भी वह पाने का हकदार होगा ।
- ✓ यदि कोई पैरा विधिक स्वयंसेवक किसी व्यक्ति की सहायता हेतु न्यायालय या अन्य कार्यालय में जाता है तो वह उस दिन का मानदेय पाने का हकदार होगा परन्तु उसे इस प्रकार सहायता दिये जाने का प्रमाण देना होगा ।

- ✓ विधिक सहायता प्रदान करने के कम में पैरा विधिक स्वयंसेवक द्वारा बस/ट्रेन का न्यूनतम भाड़ा, फोन आदि पर जो खर्च किया जाता है वह भी खर्च का प्रमाण देने पर देय होगा ।
- ✓ पैरा विधिक स्वयंसेवक से जिस दिन प्रबंध कार्यालय और विधिक सहायता केन्द्र में कार्य लिया जाता है उस दिन का मानदेय देय होगा ।
- ✓ विधिक जागरूकता शिविर के लिए कार्य करने वाले दिन का मानदेय देय होगा ।
- ✓ मानदेय के रूप में 250/– रू0 देय होगा ।

पैरा विधिक स्वयंसेवकों का राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन-

''न्याय सबके लिए'' उद्देश्य की प्राति हेतु समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुँच कर उसे विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए पैरा विधिक स्वयंसेवक सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है । पैरा विधिक स्वयंसेवक की संवेदनशीलता, सक्रियता, क्षमता एवं दक्षता पर ही विधिक सेवा अभियान की सफलता निर्भर है।

अतः नालसा ने यह घोषित किया है कि समय –समय पर पैरा विधिक स्वयंसेवको का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मलेन किया जायेगा तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा चुन कर भेजे गये श्रेष्ठ पैरा विधिक स्वयंसेवको में से राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ पैरा विधिक स्वयंसेवक को पुरस्कृत एवं सम्मानित किया जायेगा ।

अतः पैरा विधिक स्वयंसेवक का कार्य राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रकट होगा। इसलिये समस्त पैरा विधिक स्वयंसेवकों से यह अपेक्षा है कि ''सबके लिये न्याय'' अभियान में शुद्ध अतःकरण से देश के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सहायता/सलाह पहुंचाने में योगदान करें।